न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 05/2021 बउनवानी काशी सिंह राजावत बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी निवासी मच्छीपुरा तहसील गंगापुर सिटी

GCMS No-2021/00004

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
03.02.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। सहायक लोक सूचना एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 24.11.2020 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:– 1. प्रार्थी ने दिनांक 2.6.2020 को एक प्रार्थना पत्र मय कोर्ट फीस के सोपा तथा जिसके साथ माननीय न्यायायलय उपजिला कलेक्टर के संलग्न किये उस प्रार्थना पत्र पर की गयी कानूनी रूप की सम्पूर्ण जानकारी, सत्य प्रति दिलावे। 2. उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के आदेश की पालना करने से संबंधित तथा जिसकी पालना नही हुई जिसकी सूचना प्रार्थी ने हल्का पटवारी को मोबाईल पर दिनांक 24.6.2020, 29.7.2020,7.8.2020, 8.8.2020 को दी गयी फिर भी कोई पालना निर्माण को रोकने की नही हुई जिसके बाद की गयी कार्यवाही की सत्यप्रति चाहिए। 3. प्रार्थी को श्रीमान के कार्यालय से एक अनावश्यक जॉच रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2020/1814 दिनांक 20.10.2020 को प्राप्त हुई है जिसमे श्रीमान नायब तहसीलदार ने ख0न0 281 गे.मु. रास्ता टीला वाला रास्ता अंकित किया है उसकी रिकार्ड अनुसार सत्य जानकारी नक्शा ट्रेस सहित दिलावें। 4. कार्यालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर का पत्र क्रमांक/राजस्व/विविध/2020/2783 दिनांक 24.7.2020 पर रास्ता गै.मु. ख0न0 नम्बर 281/022 की मिटटी निकलवाने की श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय सवाईमाधोपुर के निंशानुसार की गयी कार्यवाही की जानकारी दिलावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम के नियम 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक/सूकाअ/2021/07 दिनांक 2.2.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 24.11.2020 के बिन्दु संख्या 1 मे चाही सूचना से संबंधित कोई प्रार्थना पत्र कार्यालय मे प्रस्तुत नही किये जाने के कारण उपलब्ध नही करवायी गयी है। बिन्दु संख्या 2 की सूचना तहसील कार्यालय मे उपलब्ध नही होने के कारण नही दी गयी है। बिन्दु संख्या 3 व 4 की सूचना नक्शा ट्रेस को छोडकर अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 1814 दिनांक 20.10.2020 पुनः पत्रांक 06 दिनांक 2.2.2021 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मै इस [illegible] पर पहुचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक [illegible] को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 व 2 से संबंधित प्रार्थना पत्र/द[illegible] कार्यालय मे [illegible] होने के कारण अपीलान्ट को नही दी गयी है तथा बिन्दु संख्या 3 व 4 की सूचना [illegible] तहसीलदार की रिपोर्ट [illegible] अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। चूंकि तहसील कार्यालय [illegible] उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार अपीलान्ट को वांछित सूचना प्राप्त हो चुकी है इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (राजेन्द्र किशन) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.06.09 17:38:31 IST
Reason: SelfAttested